राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईटः– http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेलः– hrd.cce/gmail.com **फोन न॰ 0141–2706736**(O)

क्रमांकः एफ1 ( )एचआरडी/आकाशि/वि.सं.यो./पत्र/2022–00448 दिनांकः–

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 03.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि नियमित महाविद्यालयों में विद्य ा संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। उक्त के संबंध में महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी लगाये जाने के संबंध में निम्न निर्देश की पालना सुनिश्चित करेः–

1. नियमित महाविद्यालय में विद्या संबल योजना क्रियान्वयन आदेश दिनांक 03.07.2024 के क्रम में जिन महाविद्यालयों द्वारा विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है तो वे अपने महाविद्यालय की विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता RACE Centre को विज्ञप्ति जारी करने हेतु भेजना सुनिश्चित करें। विभागीय आदेश क्रमॉक 946 दिनांक 12.07.2019 में अंकित RACE centre एवं उनके अधीन महाविद्यालयों की जानकारी उपलब्ध है।

2. विद्या संबल योजनान्तर्गत गेस्ट फैकल्टी से आवेदन प्राप्त करना तथा पैनल तैयार किये जाने के संबंध में कार्यवाही संबंधित महाविद्यालय (जहॉ गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु लगाया जाना है) के स्तर पर ही की जानी हैं। महाविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध ना होने की स्थिति में नोडल महाविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग दिया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.07.05 20:59:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
8692042

3. महाविद्यालय में नियमित विषय में स्वीकृत पदों के विरूद्व एक भी शिक्षक पदस्थापित होने अथवा महाविद्यालय में नियमित विषय में स्वीकृत पद के विरूद्व किसी अन्य शिक्षक का वेतन आहरित होने की स्थिति में गेस्ट फैकल्टी को नहीं लगाया जावें।

4. शिक्षक कार्यरत नहीं होने तथा किसी अन्य शिक्षक का वेतन आहरित होने की स्थिति में उक्त विषय में अध्यापन कार्य करवाये जाने हेतु नोडल महाविद्यालय से DRAC के माध्यम से नियमानुसार व्यवस्था कर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(प्रो. केशव शर्मा)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
05. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
06. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Keshav Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.07.05 20:59:01 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref
8692042